केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में 28.3.2018 को आयोजित संस्थान की 15वी संयुक्त कर्मचारी परिषद (आई. जे. एस. सी.) की पहली बैठक का कार्यवृत

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में 28.3.2018 को संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक का आयोजन संस्थान के निदेशक व संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डा॰ एस॰ के॰ चक्रबर्ती की अध्यक्षता मे हुआ । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	श्री रत्नेश कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सदस्य (कार्यालय पक्ष)
2.	श्री जसपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰ के,मोदीपुरम	सदस्य (कार्यालय पक्ष)
3.	श्री संदीप सिंह डुडी, प्रशासनिक अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰ शिमला	सदस्य (कार्यालय पक्ष)
4.	श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, स॰ प्र॰ अ॰, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सदस्य सचिव (कार्यालय पक्ष)
5.	श्री अश्वनी गुप्ता, व॰ लिपिक, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सचिव (कर्मचारी पक्ष)
6.	श्रीमति श्याम लता बेक्टा , सहायक,के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
7.	श्री नरेश चंद शर्मा, व. तक. स. के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सदस्य (क.प.)/ सदस्य (CJSC)
8.	श्री धर्म प्रकाश गौतम, तकनीकी अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
9.	श्री शीश राम ठाकुर, तकनीकी अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
10.	श्री कन्हैया प्रसाद, एस॰ एस॰ एस॰, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला	सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
11.	श्री वीरेंद्र सिंह, एस॰ एस॰ एस॰, के॰ आ॰ अ॰ के॰, ग्वालियर	सदस्य (कर्मचारी पक्ष)

बैठक का शुभारम्भ में कार्यालय पक्ष के सदस्य सचिव श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर के स्वागत भाषण के साथ हुआ । उन्होंने उपस्थित सदस्यों से परिचय करवाया और बताया कि इस सभा के पटल पर केवल कर्मचारियों की भलाई के सामान्य एजेंडे पर ही विचार किया जाता है । तदोपरांत उन्होंने संस्थान के निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डा॰ एस॰ के॰ चक्रबर्ती से अनुरोध किया की वह बैठक को संबोधित करें ।

समिति के अध्यक्ष डा॰ एस॰ के॰ चक्रवर्ती ने बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी क्रम को जारी रखते हुए आशा व्यक्त की, कि सभी कर्मचारी अपनी - अपनी जिम्मेदरियों को समझते हुए संस्थान के उत्थान में पूर्ण सहयोग देते रहेंगे ।

अपने अध्यक्षीय भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कार्यालय पक्ष के सचिव से प्राप्त हुए एजेंडे प्रस्तुत करने को कहा ।

कार्यालय पक्ष के सचिव श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर ने श्री नरेश चंद शर्मा (कर्मचारी पक्ष) से अनुरोध किया कि वे पटल पर अपने विचार रखें । श्री नरेश चंद शर्मा ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की, कि दोनों पक्ष कर्मचारी हित में नियमानुसार काम करेंगे।

इसके बाद श्री अश्वनी गुप्ता, सचिव (कर्मचारी पक्ष) ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की, कि सेवा सम्बंधी मामलों में प्रशासन द्वारा त्वरित नियमानुसार

कार्यवाही की जाएगी। संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद की ओर से प्रशासन सम्बन्धी सरकारी कार्यकलापों को निपटाने के लिए पूरा सहयोग दिया जाता रहेगा।

पिछली बैठक के कार्यवृत न मिलने के कारण नये मदों पर चर्चा की गई । सचिव (कर्मचारी पक्ष) द्वारा निम्नलिखित मद चर्चा हेतु प्रस्तुत किए:-

एजेंडा मद :

1. कार्यालय परिसर को Wi-Fi सुविधा मिलने बाबत ।

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि आज- कल ICAR के समस्त संस्थानो के परिसरो में, रेल्वे स्टेशन एवं, बस स्टॉप पर वाई - फाय सुविधा दी जाती है । इसलिए संस्थान के सम्पूर्ण कार्यालय परिसर में वाई - फाय सुविधा कर्मचारियो के मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कारवाई जाये। चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने तुरंत कारवाई करने के आदेश दिये ।

कारवाई: ए॰ के॰ एम॰ यू.

2. प्रशासनिक कर्मचरियों के कार्य मे फेरबदल ।

कर्मचारी पक्ष ने कहा अधिक्तर कर्मचारी काफी लम्बे समय से एक ही स्थान/अनुभाग में कार्य कर रहे है उन्हें वहाँ से हटाकर किसी और स्थान में लगाया जाये ताकि दूसरे कर्मचारियों को भी कार्य सीखने का मौका मिल सके । समस्त प्रशासनिक कर्मचारी कार्य में बदलाव चाहते है। चर्चा के बाद निदेशक महोदय ने तुरंत कारवाई करने के आदेश दिये और कहा कि जिन कर्मचारियों को एक ही सीट पर तीन-से-पाँच-साल से अधिक हो गए है उन कर्मचारियो का फेरबदल किया जाये ।

कारवाई: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

3. फाउंडेशन दिवस पर खेल विजेता के लिए सम्मान ।

स्टाफ पक्ष का कहना है कि जो विजेता खेल में मेडल/मोमेंटों जीत कर लाते है उन विजेताओ को फाउंडेशन दिवस पर सम्मान दिया जाय ।

कार्यालय पक्ष ने अवगत कराया कि इस प्रकरण पर पहले ही SOC मिटिंग में निर्णय लिया जा चुका है। यथानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति जताई।

कारवाई: चीफ डिमिश्न (स्पोर्ट्स)

4. i) संस्थान के, वेबसाइट पर सभी स्टाफ सदस्यों का नाम, पता, संपर्क नंबर और ई-मेल पता आदि अपलोड करना ।

कर्मचारी पक्ष ने मांग की, कि संस्थान के कर्मचारी तथा उप केन्द्रों के कर्मचारी से संपर्क करने के लिए काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ता है । यदि संस्थान के, वेबसाइट पर सभी स्टाफ सदस्यों का नाम, पता, संपर्क नंबर और ई-मेल पता आदि अपलोड होगा तो उनसे संपर्क करने में आसानी होगी ।

चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने तुरंत कारवाई करने के आदेश दिये तथा संस्थान की directory भी अपलोड करने हेतु आदेश पारित किए ।

कारवाई: ए. के. एम. यू./अध्यक्ष सा. वि. संभाग

ii) संस्थान के. वेबसाइट पर (CPRI -एक परिचय मे) संभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष की सूची दरुस्त करने संबधित।

(CPRI-एक परिचय में) संभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष की सूची दरुस्त करने के भी आदेश दिये।

कारवाई: ए. के. एम. यू./ सहा. प्रशा. अधि. स्था -1

iii) सीपीआरआई वेबसाइट में आईजेएससी कार्यवाही अपलोड करना।

आईजेएससी की कार्यवाही अपलोड करने के भी आदेश दिये।

कारवाई: ए. के. एम. यू.

5. सं. सं. क. प. कर्मचारी पक्ष के उप केन्द्रों के जाने हेतु ।

उप केन्द्रों के कर्मचारियों की समस्यों को सुनने के लिये कर्मचारी पक्ष को उप केन्द्रों के जाने के लिए अनुमति दी जाये ।

कार्यालय पक्ष ने कहा कि संस्थान हित / कार्य की महत्ता व वित्तीय उपलब्धता के मध्यनजर कर्मचारी पक्ष के सदस्य / सदस्यों को क्षेत्रीय केन्द्रो पर तैनात कर्मचारियों की समस्याओं को जानने निपटाने हेतु भेजा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई ।

कारवाई: सचिव (कार्यालय/ कर्मचारी पक्ष)

6. प्रशासनिक ब्लॉक के नीचे पड़े कूड़े के डस्टबिन को उचित स्थान पर रखने हेतु / डंपिंग साइट बनाने हेतु ।

कर्मचारी पक्ष ने कहा, कि प्रशासनिक ब्लॉक के नीचे कूड़े के डस्टबिन रखे जाते है तथा उसके आस-पास कुडा बिखरा रहता है।

कार्यालय पक्ष ने बताया कि इस मुददे पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि इस कूड़े को ढक कर रखा जाए तथा इससे bio-compost बनाने पर सोचा जाए ।

कारवाई: अध्यक्ष (वर्क्स एंड कांट्रैक्ट)

7. जीपीएफ को ऑनलाइन करने संबंधित

कर्मचारी पक्ष ने कहा की जीपीएफ यदि ऑनलाइन होगा तो सीपीआरआई व इसके क्षेश्रीय केन्द्रों के कर्मचारियों को अपना बैलेन्स देखने या चैक करने मे दिक्कतो का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि आईसीएआर मुख्यालय में लागू है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमती व्यक्त की।

कारवाई: वृ. वि. एव. ले. अ./श्रीमतिश्याम लता बेकटा/ ए. के. एम. यू.

8. प्रशासनिक कर्मचारीयो को शिलांग दौरे पर भेजने संबंधित

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि शिलांग मे यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाये जैसे कि वित एवम लेखा अनुभाग मे की गई है तथा शिलांग केन्द्र के गेस्ट हाउस के लिये टीवी आर.एफ़.एस से खरीदा जाये

चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति करना अभी संभव नहीं है तथा क्षेत्रीय केन्द्र शिलोंग के गेस्टहाउस के लिए टेलीविजन खरीद हेतु कार्रवाई का आश्वासन दिया।

कारवाई:स.प्र.अ.(भण्डार)

9. <u>सचिव, आईजेएससी (एसएस) को प्रदान किए जाने वाले परिपत्र / महत्वपूर्ण आदेश</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि समय-समय पर परिषद/संस्थान द्वारा जारी की गई सेवा शर्तों और कर्मचारियों की कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण परिपत्र / आदेश की प्रतियां सचिव आईजेएससी (एसएस) को नहीं दी जा रही हैं।

कार्यालय पक्ष ने कहा कि कर्मचारी हित के सभी निर्णय / परिपत्र / आदेशों की प्रतिलिपि सदस्य सचिव कर्मचारी पक्ष की दी जा रही है और आगे भी दी जाती रहेगी।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने सहमति जताई।

कारवाई: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ स. प्र. अ. (E-1)

10. <u>कैंटीन मे खाने की गुणवत्ता/quality सुधारी जाये तथा चाय व काफी कि दरे कम की जाए</u>

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि कैंटीन मे जो दिन को खाना परोसा जाता है वह ठीक नहीं है उस की quality में सुधार किया जाए तथा चाय व काफी की दरें कम किए जायें । चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने कैंटीन कमेटी को इस ओर ध्यान देने को कहा ।

कारवाई: अध्यक्ष , कैंटीन

11.<u>प्रशासनीक ब्लॉक/प्रत्येक ब्लॉक में पानी भरने का कैम्पंर/ RO-Water Purifiers (आरओ जल शोधक) या aqua guard उपलब्ध करवाये जाने संबंधित ।</u>

स्टाफ पक्ष का कहना था कि पानी भरने के कैम्पंर बहुत पुराने और क्षतिग्रस्त हो गए है। पुराने पानी भरने के कैम्पंर को सभी अनुभागों से हटाया जाये और उन के स्थान पर नए कैम्पंर /RO-Water Purifiers उपलब्ध करवाये जाये । स्टाफ पक्ष की बात सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पुराने पानी भरने के कैम्पंरो को बदला जाएगा और यदि संभव हुआ तो आरओ/वॉटर पुरीफ़ीर्स लगाए जाऐंगे ।

कारवाई : प्रशासनिक अधिकारी/अभियन्त्रण अनुभाग

12. <u>एटीएम का साइन बोर्ड न होने के कारण लोगो को दिक्कतो का सामना करना पडता है ।</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि एटीएम का साइन बोर्ड नहीं है जिसके कारण लोगो को दिकत का सामना करना पडता है। एसबीआई का एटीएम प्राय खराब रहता है और काउंटर का सर्वर भी डाउन/खराब रहता है इस कारण कर्मचारियों व अन्य लोगो को परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। एटीएम का दरवाजा भी खराब है। इस मुद्दे पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि मामले को एसबीआई अधिकारियों के संगायन में लाया जाये ताकि उचित कारवाई हो सके ।

कारवाई: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ अभियन्त्रण अनुभाग

13. आईजेएससी के कमरे में कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, फर्नीचर, देने के बारे मे ।

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के सदस्यों को संयुक्त कर्मचारी परिषद का कार्य जैसे मसौदा तैयार करना, एजेंडा मद, कार्यसूची विवरण, बैठक की कार्यवाही का प्रेषण, कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में पत्र इत्यादि के लिए, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की अवश्यकता है । चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने स्टोर अनुभाग को आदेश दिये कि जल्द से जल्द इस बाबत आवश्यक कारवाई की जाए।

कारवाई : प्रशासनिक अधिकारी/ स॰ प्र॰ अ॰ (भण्डार)

14. GOI इलैक्शन/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकारियों/ कर्मचारियो को संस्थान से निर्वाचन करवाने के लिये भेजा जाता है । उन्हे दूर दराज के ईलाकों में इलैक्शन करवाने होते है, जिस के लिये अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। इसके लिये उचित कदम उठाये जाये। स्टाफ पक्ष ने यह भी कहा कि उप केन्द्रों में बीएलओ की अभी भी ड्यूटि लगाई जा रही है। जबकी यह ड्यूटी विधानसभा और लोकसभा मे ही लगाई जाती है । अतः उन अधिकारियो/ कर्मचारियो को निवार्चन अधिकारी को पत्र लिख कर वापिस बुलाया जाय तथा पत्र मे यह जिक्र भी किया जाय की उनकी ड्यूटी बीएलओ की ना लगाई जाए ।

बैठक में इस मुददे पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मामले को पत्र द्वारा डीसी शिमला -रिटर्निंग ऑफिसर-कम-एसी के सामने लाया जाय।

कारवाई : मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ स॰ प्र॰ अ॰ (E-1)/ कारवाई :केंद्राध्यक्ष

15. वेतन और अग्रिम में देरी, आदि

स्टाफ पक्ष का कहना था कि कर्मचारियों को फ़रवरी की सैलरी/ वेतन समय पर नहीं दिया गया जोकि 28 फ़रवरी को दी जानी थी जबकी सैलरी/ वेतन 5 मार्च को दिया गया था। जिसके कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा । कर्मचारी समय पर अपने बच्चो की फीस व किस्त नहीं दे पाये। स्टाफ पक्ष की बात सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पीएफ़एमएस के न चलने और बैंक दवारा रिटायर्ड एम्प्लॉईस को एरियर देने की वजाह से वेतन मे विलंब हुआ है।
अतः मद को डरोप किया गया है

16. सर्दियो में केरो हीटर के लिये व्हाइट केरोसीन ऑइल समय पर नहीं मिलता या खरीदा नहीं जाता संबन्धित ।

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि सरकार/संस्थान द्वारा सर्दियों में कर्मचारियों को सर्दी से बचने के लिये केरो हीटर की सुविधा 15 नवम्बर से 15 मार्च तक दी जाती है । देखने मे यह आया है कि कर्मचारियों को व्हाइट केरोसीन ऑइल समय पर नहीं दिया गया। और कर्मचारियों को उनकी दी जाने वाली सुविधा से वंचित रखा गया। चर्चा के बाद यह फैंसला लिया गया कि केरो हीटर को हटाया जाए उन के स्थान पर दूसरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाय क्योंकि केरो हीटर से प्रदूषण बहुत होता है

कारवाई : प्रशासनिक अधिकारी/स॰ प्र॰ अ॰ (भण्डार)

17. <u>संवेदनशील सीट / सेक्शन से contractual/ठेका कर्मचारियों को हटाने से संबन्धित।</u>

बैठक में इस मुददे पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्टाफ की कमी को देखते हुए यह करना संभव नहीं है। मद को ड्रोप किया गया है

18. <u>बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली / इआरपी-संबंधित</u>

स्टाफ पक्ष का कहना था कि प्रशासनिक ब्लॉक में दो बॉयोमीट्रिक मशीन लगाई गई हैं। उन में से एक बॉयोमीट्रिक मशीन खराब रहती है। जिस के कारण कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति दर्ज करने मे दिक्कत आ रही है। कर्मचारी पक्ष ने कहा कि ए. के. एम. यू. का स्टाफ key द्वारा या password द्वारा बॉयोमीट्रिक मशीन को reset करते है तो वह कार्य करने लगती है। स्टाफ पक्ष की बात सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये कि ए. के. एम. यू . का स्टाफ सुभा 9.00 बजे और साय 5.00 बजे तक बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली/ इआरपी को चैक करेगा ।

कारवाई : ए. के. एम. यू .

19. <u>अगले आईजेएससी मीटिंग की तिथि और स्थल का निर्धारण</u>

निर्देशक महोदेय ने सचिव कार्यालय पक्ष को नियमों के अनुसार समय पर कारवाई करके मीटिंग का आयोजन करने के लिये कहा ।

कारवाई :सचिव (कार्यालय पक्ष)

इसके अलवा समिति के अध्यक्ष की अनुमति से निम्न मदों पर चर्चा की गई ।

1 ग्वालियर केंद्र मे वर्दियों के देय नहीं मिलने संबंधित

श्री वीरेंद्र सिंह सदस्य कर्मचारी पक्ष ने कहा कि, के. आ. अनु. केन्द्र, ग्वालियर मे कर्मचारियों को उनकी वर्दियों के देय अभी तक नहीं मिले । इस पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि केंद्राध्यक्ष ग्वालियर इस ओर ध्यान दे ताकि कर्मचारियों की वर्दियों का देय जल्द से जल्द किया जा सके ।

कारवाई :केंद्राध्यक्ष , ग्वालियर

2 अगस्त माह के वेतन से रुपेय 972/- काटे जाने संबंधित

श्री वीरेंद्र सिंह, ने कहा कि, के. आ. अनु. केन्द्र, ग्वालियर मे कर्मचारियों को उनकी अगस्त माह के वेतन से रूपये 972/- काट लिए गये थे जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुए है अध्यक्ष महोदय ने कहा कि केंद्राध्यक्ष ग्वालियर इस और ध्यान दें

कारवाई :केंद्राध्यक्ष, ग्वालियर

अन्त में कार्यालय पक्ष के सचिव श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर ने बैठक में सोहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए धन्यवाद दिया। कर्मचारी पक्ष ने समिति के अध्यक्ष को सभी मदों पर उचित निर्णय लेने के लिये भी धन्यवाद दिया और भविष्य में उम्मीद की, कि सभी मदों पर उचित करवाई होगी और जल्द से जल्द सभी कार्य का निपटारा हो जायेगा ।

अध्यक्ष व सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

सचिव	सचिव,
संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद(कर्मचारी पक्ष)	संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद(का. पक्ष)